प्रेषक,

सचिव,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0,
1, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग,
लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
समस्त राजकीय पालीटेक्निक संस्थाएं,
उत्तर प्रदेश।

संख्या : 3646 /संप्रपप/ई0–2(काउ0)/2014, दिनांक : 13 अगस्त, 2014

महोदय,

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–3641/संप्रपप/ई0–2(काउ0)/2014, दिनांक 11 अगस्त, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय पालीटेक्निकों में काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश की अन्तिम तिथि 14 अगस्त, 2014 तक बढ़ाये जाने की सूचना दी गई थी।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि द्वितीय काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित हुए काफी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो तकनीकी कारणों से रू0 3000/– सिक्योरिटी डिपाजिट परिषद के खाते में बैंक में जमा नहीं कर पाये हैं और न ही आवंटन लेटर मुद्रित कर पाये हैं, अब यह छात्र शासन और परिषद में आकर प्रवेश के लिए अनुरोध कर रहे हैं। प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को अब सिक्योरिटी राशि जमा किये बिना ही उनकी आवंटित संस्था में 14.08.2014 तक प्रवेश दे दिया जाये।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रकरणों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को अपनी संस्था में आवंटित छात्र को बिना सिक्योरिटी राशि जमा किये हुए नियमानुसार संस्था स्तर पर जमा किये जाने वाले (शिक्षण शुल्क, छात्र निधि व अन्य देय शुल्क) जमा कराते हुए प्रवेश देने का कष्ट करें ताकि आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश पा सकें। यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि कालान्तर में परिषद से सिक्योरिटी राशि वापस किये जाने वाले दावे में ऐसे छात्रों के नाम के सम्मुख यह अंकित कर दिया जाये कि इन्होंने सिक्योरिटी राशि जमा नहीं किया था।

कृपया उपरोक्तानुसार अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(योगेन्द्र सिंह यादव)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
2. निजी सचिव, मा0 प्राविधिक शिक्षा मंत्री, उ0प्र0।

(योगेन्द्र सिंह यादव)
सचिव